राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

जेठाराम : बनाम : राजस्थान राज्य

एकल पीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या: **1386/2005**

अन्तर्गत धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : 19 अप्रेल, 2007

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री देवीलाल आर व्यास,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय,
मुस्तगीस के अधिवक्ता श्री महिपाल बिश्नोई।

यह धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत विविध याचिका अपर सेशन न्यायाधीश, फलोदी द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 10/04 में धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 7.12.05 को स्वीकार किया, की नाराजगी में प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना-पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब करने का आदेश 13.12.05 को जारी किया गया और नोटिस जारी किए गए। ग्रहणार्थ प्रक्रम पर दोनों पक्षों को याचिका के अन्तिम निस्तारण हेतु सुना गया।

तथ्य प्रकरण के संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्तगण दीपाराम,

रमेश कुमार व जेठाराम के विरूद्ध एक सेशन प्रकरण लम्बित है जिसमें अभियुक्त दीपाराम के विरूद्ध धारा 369 व 302 भा.दं.सं. का और रमेश कुमार के विरूद्ध धारा 176 व 201 भा.दं.सं. व जेठाराम के विरूद्ध धारा 411 व 414 भा.दं.सं. के आरोप लगाए गए और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में 23 गवाहों के बयान हुए, उस दौरान जन अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र 3.12.05 को प्रस्तुत किया गया कि इस प्रकरण में फलोदी के हैड मोहरिर के बयान कराने आवश्यक हैं, अत: हैड कांस्टेबल भाखरराम, जो मालखाना इंचार्ज थाना फलोदी था, मय मालखाना रजिस्टर तलब करने का आदेश फरमावें। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बहस सुनी और इस प्रार्थना-पत्र को दिनांक 7.12.05 के माध्यम से स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध यह याचिका प्रस्तुत हुई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि इस प्रकरण में भाखरराम को मय मालखाना रजिस्टर तलब करने की इस्तदुआ की है, मगर यह मालखाना रजिस्टर की नकल पूर्व में पेश नहीं की गई न भाखराम को गवाह की सूची में रखा गया। यह प्रकरण के निस्तारण के लिए क्योंकर आवश्यक है, धारा 311 दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र में कोई आधार भी नहीं बताए गए हैं। उनका तर्क है कि धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना-पत्र पर विवेक का इस्तेमाल न्यायिक होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण सभी साक्ष्य के बयान हो चुके हैं, अभियोजन द्वारा छोड़ी गई कमियों को पूरा करने के लिए साक्ष्य को तलब नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश में आधार लिखे हैं वे न्यायोचित नहीं है और न्याय का हनन है। अत: अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक व योग्य अभिभाषक मुस्तगीस

ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के समर्थन में बहस की और तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चूंकि साक्ष्य अभियोजन चल रही थी और समाप्त नहीं हुई थी, प्रकरण के न्यायिक निर्णय के लिए गवाहों को तलब किया है और दस्तावेजात तलब किए हैं, अत: इस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया एवं रेकर्ड का अवलोकन किया। धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता इस प्रकार है :

> "**311. Power to summon material witness, or examine person present.--** Any Court may, at any stage of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, summon any person as a witness, or examine any person in attendance, though not summoned as a witness, or recall and re-examine any person already examined; and the Court shall summon and examine or recall and re-examine any such person if his evidence appears to it to be essential to the just decision of the case."

प्रकरण में यह सही है कि गवाहों की सूची में हैड मोहर्रिर का नाम नहीं है, न पूर्व में रोजनामचा की नकल ही पत्रावली के साथ पेश की गई। जन अभियोजक द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.9.05 को पेश किया गया था और दूसरा प्रार्थना-पत्र दिनांक 3.12.05 को पेश किया गया था। 17.9.05 के प्रार्थना-पत्र में जो गवाह शेष रहे हैं उनको तलब करने की इस्तदुआ की गई। पूर्व में प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्र दिनांक 17.9.05 के सम्बन्ध में अभियुक्त के अभिभाषक द्वारा यह इस्तदुआ की गई थी कि गवाहों की स्वीकारोक्ति अस्वीकारोक्ति करने देने तक लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में गवाहों की संख्या सीमित की जा सके। वह प्रार्थना-पत्र अभी लम्बित है। दिनांक 3.12.05 को धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का जो प्रार्थना-पत्र दिया उस पर दोनों पक्षों सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने

आदेश में यह पाया कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त नहीं हुई है और साक्ष्य चल रही है। प्रकरण के न्यायसंगत निर्णय के लिए यदि गवाह की साक्ष्य होती हो तो गवाह को तलब किया जा सकता है, चाहे सूची में उसका नाम अंकित नहीं हो। इस प्रकार न्यायालय ने मालखना इंचार्ज को मय मालखाना रजिस्टर तलब करने का आदेश दिया और यह भी पाया कि न्यायसंगत निर्णय के लिए गवाह की तलबी आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि थानाधिकारी द्वारा माल मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द किया गया था और जिस पर कार्यवाही शिनाख्तगी हेतु सम्बन्धित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया और वापस प्राप्त होने पर अभिरक्षा में रखा इस कारण प्रकरण में न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए दस्तावेज अहम होना जन अभियोजक ने जाहिर किया है। इस बहस पर विचार करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया है।

मेरे द्वारा रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में लम्बित है और साक्ष्य समाप्त नहीं हुई है और यदि किसी गवाह का नामू सूची में सम्मिलित नहीं किया गया या कोई दस्तावेज अभियोजन पक्ष पेश नहीं कर पाया है और इस गवाह का बयान प्रकरण के न्याय निर्णय के लिए यदि आवश्यक हो तो न्यायालय उन्हें तलब कर सकता है इसमें कानूनी मुमानियत नहीं है। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त नहीं हुई थी और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य अभी भी लम्बित है और अभियोजन पक्ष अभी भी गवाह तलब कर रहा है, इन परिस्थितियों को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया है। योग्य अभिभाषक याचीगण द्वारा यह तर्क किया

गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ी गई कमियों को पूरा करने के लिए धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता काम में नहीं ली जा सकती है, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने तमाम बिन्दुओं पर गहनता से विचार किया है और उपरोक्त आदेश पारित किया है। यह ऐसा प्रकरण नहीं है, जहां पर अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त हो चुकी हो और गवाह को बाद में सोच समझ कर कमी पूरा करने के लिए बुलाया जा रहा हो। अभियोजन पक्ष की साक्ष्य अभी चल रही है। ऐसे में यदि जन अभियोजक कोई प्रार्थना-पत्र पेश कर गवाह को तलब करने के लिए प्रार्थना करता है तो ऐसे गवाह को न्यायालय समन कर सकता है और अधीनस्थ न्यायालय ने गवाह का बयान न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक माना है।

जहां तक 1997 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (राजस्थान) 433 (मोहम्मद बक्ष बनाम राजस्थान राज्य) विनिश्चय का प्रश्न है, इसमें दिए गए सिद्धान्तों को मैं आदर पूर्वक स्वीकार करता हूं, मगर उस प्रकरण में अभियोजन की साक्ष्य समाप्त हो चुकी थी और अभियुक्त के बयान भी धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिए जा चुके थे, उसके बाद अभियोजन पक्ष की आंख खुली, तब उन्होंने यह प्रार्थना-पत्र दिया कि प्रथम सूचना में इस गवाह का नाम दर्ज है और धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान नहीं लिए गए हैं, अत: अतिरिक्त गवाह के रूप में इसे तलब किया जावे। इन सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने इस गवाह को तलब करना न्यायोचित नहीं माना है। मगर इस प्रकरण के तथ्य भिन्न है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य अभी चल रही है और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य के चलते अभियोजन पक्ष किसी भी गवाह को, जिसका नाम सूची में भी नहीं है, उन्हें तलब करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने का

अधिकार रखता है।

इस प्रकार मैं इस याचिका में कोई बल नहीं पाता, जो खारिज की जाती है।

इस याचिका के निस्तारण के साथ मैं यह लिखना चाहूंगा कि यह याचिका दिनांक 13.12.05 को इस न्यायालय में सर्वप्रथम लगी थी, जिसमें सम्बन्धित पीठ द्वारा नोटिस जारी किए गए थे और अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया था और कार्यालय रिपोर्ट दिनांक 2.3.06 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि रेकर्ड प्राप्त हो चुका था। इसके बाद 14.3.07 को यह रिपोर्ट की गई कि रेकर्ड प्राप्त हो चुका है, न्यायालय में लगाया जाए। उसके बाद यह पत्रावली दिनांक 23.3.07 को न्यायालय में लगाई गई। उप निबन्धक (न्यायिक) को हिदायत दी जाती है कि जांच कर उचित कार्यवाही करे कि अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड आने के बाद लम्बे समय तक पत्रावली न्यायालय में क्यों नहीं लगाई गई और भविष्य में जिन पत्रावलियों में अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड यदि प्राप्त हो गए हों और पत्रावली न्यायालय में नहीं लग रही हों तो उन्हें न्यायालय में लगाने का प्रयास करे।

उपरोक्त हिदायत के साथ, इस याचिका में कोई बल नहीं होने से यह याचिका खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तत्काल लौटाया जावे।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा